

वर्ष 2016-17 के लिए रिपोर्टिंग लेखा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तिथि को 31-3-2018 तक बढ़ाया गया

परिपत्र संख्या 26/2017 [एफ.सं.370142/25/2017-टीपीएल], दिनांक 25-10-2017

ओईसीडी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) परियोजना के तहत पहचाने गए "ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड कंट्री-बाय-कंट्री रिपोर्टिंग" शीर्षक से एक्शन 13 पर 2015 की अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286 ('अधिनियम') को वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से शामिल किया गया था, जिसमें किसी अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में उसके घटक या मूल इकाई द्वारा देश-दर-देश रिपोर्ट (सीबीसीआर) प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (2) के तहत, देश-दर-देश रिपोर्ट प्रस्तुत करने की 'देय तिथि' संबंधित लेखा वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट तिथि है। वित्त वर्ष 2016-17 सीबीसीआर प्रस्तुत करने का पहला रिपोर्टिंग वर्ष होगा। सीबीसीआर प्रस्तुत करने के नियम भी अभी विचाराधीन हैं।

मामले पर विचार करने के पश्चात, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अधिनियम की धारा 119 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आने वाले सभी करदाताओं के संबंध में, लेखा वर्ष 2016-17 की रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित 'देय तिथि' को 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाता है।

■ ■